न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री वीरका पुत्र पूनमा जी, जाति- सरगडा, निवासी-लखमावा बडा, तहंसील- शिवगंज
2. श्री बाबु पुत्र पूनमा जी, जाति- सरगडा, निवासी- लखमावा बडा, तहसील- शिवगंज
3. अंसी पुत्री पूनमा जी, जाति- सरगडा, निवासी-लखमावा बडा, तहसील- शिवगंज
4. शांति पुत्री पूनमा जी, जाति- सरगडा, निवासी- लखमावा बडा, तहसील- शिवगंज

राजस्व निगरानी संख्या: 17/2016

''प्रार्थना पत्र अन्र्तगत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि-आवंटन) नियम, 1970''

उपस्थिति:

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 30 सितम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक/राजस्व/14/4/2016/960 दिनांक 24.6.2016 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध ग्राम लखमावा बडा, पटवार हल्का रोवाडा, तहसील- शिवगंज के खसरा संख्या 107 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. आ.चा. व खसरा संख्या 108 रकबा 1.10 बीघा में भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसमें से अप्रार्थी अंशी को जारी नोटिस स्वयं अंशी को तामिल होकर प्राप्त हुआ एवं अप्रार्थी शांति को जारी नोटिस उसके पुत्र सोहनलाल को तामिल होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी वीरका को जारी नोटिस उसकी पुत्री कमला को तामिल होकर प्राप्त हुआ एवं अप्रार्थी बाबु को जारी नोटिस स्वयं बाबु को तामिल होकर प्राप्त हुआ। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 27.11.2018 को अप्रार्थी बाबुलाल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 06.3.2019 को अप्रार्थी वीरका इस न्यायालय में उपस्थित हुआ, उसके बाद अप्रार्थी वीरका व बाबु इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अप्रार्थी अंशी व शांति को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुई। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से कोई लिखित जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ। जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई। आवंटित भूमि के मौके

....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

पर अप्रार्थीगण का कब्जा-काश्त नही है एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से बतौर गैरखातेदार दर्ज है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम लखमावा बडा, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 107 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. आ. चा. व खसरा संख्या 108 रकबा 1.10 बीघा किस्म कच्छार II में 1/2 हिस्सा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता पूनमा जी पुत्र श्री हिन्दू जी, जाति- सरगडा, निवासी- बडा लखमावा को किया गया था। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि ''आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही है। आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है।'' तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ भू अभिलेख निरीक्षक, जोगापुरा एवं हल्का पटवारी, रोवाडा की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक, जोगापुरा एवं हल्का पटवारी, रोवाडा की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि उक्त भूमि कृषि योग्य नही है, नदी के किनारे आसपास स्थित है, जो उसर हो चुकी है। काबिल काश्त नही है, बहाव क्षेत्र में स्थित है। मौका जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि पर काश्तकारों द्वारा कभी भी काश्त नही की गई है, न ही इन्होंनें इस भूमि पर कभी कब्जा किया है अर्थात् कब्जा/काश्त नही है। मौके पर खसरे वाईज लोर, कांटो की बाड इत्यादि कोई कब्जे संबंधी निशानात नही है। भूमि कृषि योग्य नही होने से खारच हो चुकी है।

इस प्रकार, प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक, जोगारपुरा व हल्का पटवारी रोवाडा की उक्त संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा-काश्त नही है व आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि कृषि योग्य नही है व नदी के किनारे आस पास स्थित है जो उसर हो चुकी है एवं वहाव क्षेत्र में स्थित है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लखमावा बडा, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 107 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. आ.चा. व खसरा संख्या 108 रकबा 1.10 बीघा किस्म कच्छार II में अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। साथ ही, तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि में से शेष आधे हिस्से की भूमि के मौके की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

30.9.2019

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.13 13:54:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: